यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

ठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा गुप्ता (आई.ए.एस)
करण संख्या : 30/2026 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
रीख रजू : 08.04.2026 निर्णय दिनांक :18.05.2026

उनवान

जयसिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी अजबपुरा तहसील नारायणपुर जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला कोटपूतली–बहरोड।
मगनकंवर पत्नी भवंर सिंह जाति राजपूत निवासी अजबपुरा तहसील नारायणपुर जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान
मालसिंह पुत्र भवंर सिंह जाति राजपूत निवासी अजबपुरा तहसील नारायणपुर जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान
रामनिवास पुत्र नंदराम जाति स्वामी निवासी सी–6 नित्यानंद नगर गांधी पथ वैशालीनगर जयपुर राजस्थान।
सुन्दरलाल यादव पुत्र बंशीराम यादव निवासी तुर्कियावास तहसील नारायणपुर जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।
जितेन्द्र राठौड हाल कर्मचारी एलडीसी उपखण्ड कार्यालय नारायणपुर जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान
तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील नारायणपुर जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।
उपपंजीयक तहसील नारायणपुर जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।

– अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 235 आर.टी.एक्ट.

थत अधिवक्तागण :–
ी दिनेश कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

–: निर्णय:– दिनांक– 18.05.2026

ंक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उनवानी वाद जयसिंह बनाम मंगन कवंर गै0 मुकदमा नम्बर 425/2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर में जैरकार है। जिसमें ीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में न्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
ार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।
कील प्रार्थी की बहस सुनी गई।
ार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर जिला कोटपुतली–बहरोड़ के न्यायालय में प्रकरण संख्या 25/2025 उभवानी जयसिंह बनाम मंगन कंवर व अन्य विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 2 से 5 तक ाफी राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्ति हैं तथा प्रतिवादी संख्या 3 का सगा रिश्तेदार प्रतिवादी संख्या जितेन्द्र सिंह राठौड़ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर में बाबू के पद पर कार्यरत है, जो वैध रूप से जमीन खरीद–फरोख्त का कार्य करता है। प्रतिवादी संख्या 6 ने विवादित आराजी को र्दे के पीछे खरीद रखा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने उससे साजबाज होकर प्रार्थी की कब्जे वं खातेदारी अधिकार की आराजी का बयनामा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के पक्ष में गैरकानूनी तरीके करवा दिया, जबकि विवादित आराजी प्रार्थी की बुजुर्गानी कब्जेकाश्त की आराजी है तथा प्रार्थी ाज दिनांक तक काबिज है। उक्त विवाद को लेकर प्रार्थी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है, किन्तु वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में विवादित ाराजी प्रतिवादी संख्या 3 के नाम गलत दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 6 स्थानीय व्यक्ति होकर भूमाफिया ोगों से मिलीभगत कर उपखण्ड कार्यालय नारायणपुर में अपनी पदस्थापना का प्रभाव दिखाते हुए गातार जमीन खरीद–फरोख्त का कार्य करता है तथा प्रार्थी को धमकी देता है कि एसडीएम

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

ारायणपुर उसके प्रभाव में हैं और वह वाद को खारिज करवाकर इंतकाल खरीददारों के नाम रवा देगा तथा पुलिस प्रशासन व पटवारी को प्रभाव में लेकर मौके पर कब्जा भी करवा देगा। प्रार्थी संख्या 6 के विरुद्ध शिकायत श्रीमान एवं उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर के समक्ष पूर्व में स्तुत की जा चुकी है, जिसकी प्रतिलिपि इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। अप्रार्थी संख्या 2 से का उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर के पास लगातार आना–जाना रहता है, जिसके कारण प्रार्थी ो यह विश्वास हो गया है कि पीठारीन अधिकारी अप्रार्थीगण के प्रभाव एवं राजनीतिक दबाव में ाकर प्रकरण में विशेष रुचि लेकर कार्यवाही कर रहे हैं तथा वाद का निर्णय अप्रार्थीगण के पक्ष में रने पर आमादा हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में अत्यधिक निकट तिथियाँ दी जा रही हैं था उनका व्यवहार भी प्रार्थी के प्रति उचित नहीं है। दिनांक 07.04.2026 को जब प्रार्थी पैरवी हेतु ्यायालय गया तो अप्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 6 के साथ उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर के चैम्बर में ैठे हुए थे तथा बाहर आकर उन्होंने प्रार्थी को खुली धमकी दी कि उनकी पीठासीन अधिकारी से ात हो चुकी है एवं प्रकरण की सुनवाई दिनांक 08.04.2026 नियत करवा दी गई है तथा निर्णय नके पक्ष में कराया जाएगा। उक्त परिस्थितियों एवं पीठासीन अधिकारी की कार्यवाही से प्रार्थी को ूर्ण विश्वास हो गया है कि उसे उक्त न्यायालय से निष्पक्ष न्याय प्राप्त नहीं हो सकेगा। न्याय का ह सर्वमान्य सिद्धांत है कि न्याय केवल किया जाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि न्याय होते हुए दिखाई भी देना चाहिए। राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय 2011 आरबीजे पेज 556 में भी यह कानूनी त व्यक्त किया है कि जहाँ पक्षकार को पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय की आशा न हो वहाँ करण अन्य सक्षम न्यायालय को मुन्तकिल किया जाना चाहिए।

अंत प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर जिला कोटपुतली–बहरोड़ के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 425/2025 उभवानी जयसिंह बनाम मगन कंवर व अन्य को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया पत्रावली का भलीभांति अवलोकन व अध्ययन किया गया जिससे यह परिलक्षित होता है कि प्रकरण में वकील प्रार्थी ने प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने का निवेदन किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर से प्रार्थना पत्र के संबंध में बिन्दुवार टिप्पणी एवं अप्रार्थी नम्बर 06 के संबंध में जवाब तलब करने उपरान्त भी उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर द्वारा बिन्दुवार टिप्पणी/जवाब नही भिजवाया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा अलग–अलग विभाग को शिकायत दर्ज करवाई गई है। प्रकरण में अंकित अप्रार्थी संख्या 06 उपखण्ड कार्यालय बानसूर में कार्यरत है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उक्त कार्मिक के विरूद्ध भी शिकायत अंकित की है। ऐसी स्थिति में तहत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की कार्यवाही में उक्त कार्मिक की भूमिका भी संभावित हो सकती है। इसलिए उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी की मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर में विचाराधीन प्रकरण उनवान जयसिंह बनाम मगन कंवर व अन्य मुकदमा नम्बर 425/2025 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर को स्थानांतरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त उनवानी प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर को शीघ्र मूल पत्रावली प्रेषित करें। उपखण्ड अधिकारी बानसूर को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त उनवानी प्रकरण का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करें। उभयपक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष दिनांक 02.06.2026 को उपस्थित होवें। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर/बानसूर को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(अर्पणा गुप्ता)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़